

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ.आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रिया संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर

पीठासीन अधिकारी :- श्री संजय कुमार आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या :- 545/2024 अन्तर्गत धारा 88, 53 आरटीएक्ट

विकास पुत्र महेन्द्र सिंह जाति जाट आयु 25 वर्ष निवासी निरवाल तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़ (राज0)

-वादी

बनाम

1. महेन्द्र पुत्र मोमनराम जाति जाट निवासी निरवाल तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
2. अलका पुत्री महेन्द्र पत्नि प्रदीप कुमार जाति जाट निवासी चाईया तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़ (राज0)
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

-प्रतिवादीगण

उपस्थित:- श्री राकेशकुमार माहर वकील-वादी

श्री बलराम कस्वां प्रतिवादी सं. 1 व 2

राजपेरोकार प्रतिवादी सं. 3

निर्णय दिनांक- 14.01.2024

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ संजय कुमार आर.ए.एस. उपखण्डाधिकारी रावतसर के समक्ष उपरोक्त अभिभाषकगण की उपस्थिति में घोषणा की जाती है कि चक 3-4 एनडब्ल्यूएम खाता नं0 117/94 पं0 नं0 16/4 (42) किला नम्बर 16/3, 17/1, 18/2, 19 की 0.840 है0 अनकमाण्ड पं0 नं0 16/12 (41) किला नम्बर 13, 14, 15/1, 15/2, 16/3, 16/4, 17/2, 18/1, 19/2, 20/1 की 1.792 है0 कमाण्ड मय खाला पं0 नं0 16/33 (17) किला नम्बर 3 ता 8, 13/1, 14/2, 15 की 1.351 है0 कमाण्ड कुल तादादी 04.025 है0 भूमि के वादी व प्रतिवादी सं. 1 को ब हिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करेंगे।

आज यह पर्चा डिक्री हमारे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 14.01.2024 को जारी की गई।

(संजय कुमार)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रावतसर
राजस्थान

